लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल (पिन कोड: 462023)

पत्र क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2026/ 05-06 भोपाल दिनांक: 05/07/2026

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,

मध्यप्रदेश।

विषय: अतिथि शिक्षकों की 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के संबंध में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन एवं कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ : लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्रमांक/अतिथि.शि./2026-27/652, दिनांक 30.06.2026।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के बिंदु 4.8 के अनुपालन में 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता से संबंधित प्रकरणों हेतु ई-मेल के माध्यम से अतिथि शिक्षकों से अभ्यावेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। उक्त प्रक्रिया को विकेन्द्रीत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्यरत ऐसे अतिथि शिक्षक, जो विशेष परिस्थितियों के कारण 90% ई-अटेंडेंस सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं अथवा जिनकी उपस्थिति 90% से कम है, ऐसे अतिथि शिक्षकों के अभ्यावेदन अब ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों पर परीक्षण एवं निर्णय हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन का परीक्षण कर नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

समिति प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कर निम्नलिखित आधारों पर निर्णय लेगी–

1. महिला अतिथि शिक्षक का मातृत्व अवकाश अथवा चाइल्ड केयर संबंधी कारण।
2. किसी प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होना।
3. नेटवर्क की अनुपलब्धता अथवा तकनीकी कारण।
4. अतिथि शिक्षक के गंभीर बीमारी की स्थिति होने पर।

05/07/2026

5. अतिथि शिक्षक के विवाह के कारण उपस्थित न हो पाने के कारण।

6. परिवार में आकस्मिक मृत्यु के कारण उपस्थित न हो पाने के कारण।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई विशिष्ट कारण है तो जिला समिति ऐसे अभ्यावेदनों को सकारण लिपिबद्ध करते हुए समुचित निराकरण करेगी। सभी प्रकार के अभ्यावेदनों का निराकरण समय-सीमा में किया जाना अनिवार्य होगा।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म. प्र.

पृ. क्रमांक / अति. शि. / 2026-27 / 05-06

भोपाल, दिनांक 05/07/2026

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन।
2. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल।
4. महाप्रबंधक, एम.पी.एस.ई.डी. (निक्षी), सतपुड़ा भवन, भोपाल - आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कलेक्टर, समस्त जिले।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले।
7. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म. प्र.